

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/प्रो.-05-03/2014...../ राँची, दिनांक:...../

—: आदेश :—

स्व. पारसनाथ राय, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, साहेबगंज (आई.डी.-जे 8847) को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 27.12.2016 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्व में विभागीय आदेश सं.-3509 दिनांक 28.12.2007 द्वारा प्रदत्त प्रथम ACP लाभ का देय तिथि 13.04.2000 को तिथि परिवर्तन के तहत संशोधित करते हुए दिनांक 03.05.2000 किया जाता है।

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक-3509 दिनांक 28.12.2007 की शेष कंडिकाएँ तथावत् रहेगी।
3. पूर्व में स्वीकृत लाभ के तहत अगर कोई वित्तीय लाभ इन्हे प्रदान की गयी हो तो उपर्युक्त संशोधन के आलोक में वित्तीय लाभ की वसूली एक मुस्त कर ली जाएगी।
4. उक्त संशोधन के प्रस्ताव में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./—

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./—

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./—

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 1248

राँची, दिनांक :- 12-04-17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ अवर सचिव(प्रबंधन)/ उप सचिव(प्रबंधन)/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, साहेबगंज/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, राँची/ प्रशाखा-02 एवं 08/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ बायोडाटा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।